न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 21 / 2022

1 सरीफन पत्नी सुवा खां।
2 मुंशी पुत्र सुवा खां।
3 जाफर पुत्र सुवा खां।
4 जब्बार अली पुत्र सुवा खां समस्त जाति कलाल निवासीगण पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 घीसालाल पुत्र मनोहर खां।
2 अल्लानूर पुत्र मनोहर खां।
3 सिकन्दर पुत्र मनोहर खां।
4 शाबुदीन पुत्र मनोहर खां।
5 याकूब पुत्र मनोहर खां।
6 रज्जाक पुत्र मनोहर खां समस्त जाति कलाल मुसलमान निवासीगण पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
7 जवेदा उर्फ भागली पुत्री सुवा खां पत्नी सलेमान।
8 खातून पुत्री सुवा खां पत्नी सफी मोहम्मद समस्त जाति कलाल मुसलमान निवासीगण खुड जिला सीकर।
9 धापू पुत्री सुवा खां पत्नी इकबाल।
10 बानो पुत्री सुवा खां पत्नी हुसैन।
11 मुन्नी पुत्री सुवा खां पत्नी निजाम समस्त जाति कलाल निवासीगण मुकुन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

12 फरीदा उर्फ सन्ती पुत्री सुवा खां पत्नी इलियास जाति कलाल मुसलमान निवासी चतरपुरा जिला जयपुर।

13 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 08.02.2022 मुकदमा उनवानी घीसालाल वगैरह बनाम मु. सरीफन वगैरह 19/2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

उपस्थिति :

1. श्री नफीस अहमद खान, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अरविन्द सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–30-1-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 19/2021 में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 ने एक दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर ग्राम पंचलगी तहसील उदयपुरवाटी की भूमि खसरा नम्बर 1514;1515,1734,1744 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत होने पर दिनांक 21.01.2021 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की। दिनांक 01.02.2021 को विचारण न्यायालय ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दी। इसके पश्चात उभयपक्ष की अन्तिम बहस सुनकर विचाराधीन आदेश से विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश पारित कर दिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 ने एक दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर ग्राम पंचलगी तहसील उदयपुरवाटी की भूमि खसरा नम्बर 1514,1515,1734,1744 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत होने पर दिनांक 21.01.2021 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की। दिनांक 01.02.2021 को विचारण न्यायालय ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दी। इसके पश्चात उभयपक्ष की अन्तिम बहस सुनकर विचाराधीन आदेश से विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश पारित कर दिया है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुवार विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। प्रार्थीगण ने 1987 के नामान्तकरण को कभी भी चुनौती नही दी है। मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पति का सिद्वान्त लागु नही होता है। सुवा खां बचपन मे ही मिश्री

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

खां के गोद परम्परा में था इसीलिए सभी दस्तावेज में पिता का नाम अंकित है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.जे.टी: 2022 (2) (सिविल) पेज 1454 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में घोषणा का वाद विचाराधीन है। मुस्लिम विधि में दत्तक पुत्र का प्रावधान नही है। नामान्तकरण एक फिस्कल प्रोसिंडिग है। विचारण न्यायालय में पक्षकारों के हितो का निर्धारण होने तक विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने से किसी पक्षकार को कोई नुकसान नही है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन कर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया है। अपीलांट की अपील सारहीन है। अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 1984 पेज 338, आर. आर.डी. 1986 पेज 295, आर.आर.डी. 1985 पेज 686, आर.आर.टी. 2003(2) पेज 753, आर.आर.डी. 2016 पेज 45, ए.आई.आर. 2021 पेज 06, आर.जे.टी. 2022(2) पेज 1454 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से ग्राम पचलंगी पटवार हल्का पचलंगी तहसील उदयुपरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1514 रकबा 1.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1515 रकबा 1.14 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 1734 रकबा 0.7600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1744 रकबा 0.9000 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 4.000 हैक्टेयर की खातेदारी सुवा खां पुत्र मिश्री खां के नाम से दर्ज रिकार्ड होना साबित है तथा अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 10 के नाम नामान्तकरण प्रकियाधीन है। अनावेदगण गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में आवेदकगण के हिस्से को विक्रय कर देते है तो पक्षकारान में अनावश्यक वाद बाहुल्यता होगी। पक्षकारों के मध्य मूलवाद का

निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। इससे पूर्व विवादित भूमि के सन्दर्भ में मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने से किसी पक्षकार को कोई हानि नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30-1-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर